43

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **एम0के0 सिंह**
सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1070–एक/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 31–03–2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 249/2014–15/अपील.

.....

1– रामफूल
2– मनीराम
पुत्रगण कलियान जाति ब्राहम्ण
निवासी–ग्राम किसरौली तह0 अम्बाह, जिला–मुरैना

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1– श्रीमती अंगूरी देवी पुत्री बुद्धीदाम पत्नी कालीचरन
2– श्रीमती कमला देवी पुत्री बुद्धीराम पत्नी जयराम
दोनों जाति ब्राहम्ण, निवासी–ग्राम शंकरपुरा
तह0 पोरसा, जिला–मुरैना म0प्र0

.....असल/रेस्पोडेन्ट

3– रघुवीर
4– ओमप्रकाश
पुत्रगण होतीराम जाति ब्राहम्ण
निवासी–ग्राम पापईपुरा, तह0 व जिला–धौलपुर
राजस्थान

.....

श्री श्री कृष्ण शर्मा, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एस0के0 वाजपयी, अभिभाषक, अनावेदकगण,

.....

: : आदेश : :

(आज दिनांक 5-7-2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 249/2014–15/अपील माल में पारित आदेश दिनांक 31–03–2016 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम कुथियाना तहसील अम्बाह, जिला–मुरैना में स्थित प्रश्नाधीन भूमि सर्वे क्रमांक 347 मिन, 331 मिन, 332 मिन, 333 मिन, 334 मिन, 329 मिन, 330 मिन, 335 मिन, 336 मिन कुल किता 10 कुलक रकबा 1.85 है0 मुंशी व रामस्वरूप पुत्रगण बुद्धराम के भूमिस्वामित्व की भूमियां है । मुंशी व रामस्वरूप की मृत्यु हो जाने के कारण प्रश्नाधीन भूमियों पर वारिसान के आधार पर नामान्तरण किये जाने बावत गैर निगरानीकर्तागण द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जो प्रकरण क्रमांक 08/2013–14/अ–6 पर पंजीबद्ध हुआ । इन्हीं प्रश्नाधीन भूमियों पर निगरानीकर्तागण द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र वसीयतनामों के आधार पर नामान्तरण किये जाने बावत प्रस्तुत किये गये जो प्रकरण क्रमांक 09 एवं 10/2013–14/अ–6 पर पंजीबद्ध किये गये । विचारण न्यायालय द्वारा इन तीनों प्रकरणों का निराकरण एक साथ करते हुये आदेश दिनांक 17–11–2014 में वसीयतकर्ता मृतक मुंशी व रामस्वरूप के स्थान पर वसीयतग्रहीता निगरानीकर्तागण रामफूल व मनीराम के नाम वसीयतनामों के आधार पर समान भाग पर नामांतरण स्वीकार किया गया । विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश नामान्तरण आदेश दिनांक 17–11–2014 से परिवेदित होकर गैर निगरानीकर्तागण द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी, अम्बाह के समक्ष प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी, अम्बाह द्वारा प्रकरण क्रमांक 20/2014–15/अपील माल पर दर्ज करते हुये आदेश दिनांक 01–08–2015 से विचारण न्यायालय द्वारा पारित नामांतरण आदेश दिनांक 17–11–2014 निरस्त करते हुये वारिसान के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि पर गैर निगरानीकर्तागण द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के न्यायालय में प्रस्तुत की गई, जो प्रकरण क्रमांक 249/2014–15/अपील माल पर दर्ज की जाकर आदेश दिनांक 31–03–2016 से निरस्त की गई । परिणामतः निगरानीकर्तागण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ प्रकरण में निगरानी में उठाये गये बिन्दुओं के संबंध में उभयपक्षकारों के विद्वान अभिभाषकगणों के तर्क सुने गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त प्रकरण पत्रिकाओं का समग्र रूप से परिशीलन किया गया ।

4/ निगरानीकर्तागण के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपने तर्क में यह बताया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी, अम्बाह के न्यायालय में प्रचलित अपील को अन्यत्र स्थनान्तरित कराये

जाने के किलये संहिता की धारा 29 के अन्तर्गत आवेदन पत्र अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, जो न्यायालय की दायर पंजी क्रमांक 06/2014–15/विविध पर दर्ज हुआ । अपर आयुक्त, चंबल संभाग मुरैना द्वारा निगरानीकर्तागण द्वारा धारा 29 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र को इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि अनुविभागीय अधिकारी, अम्बाह का स्थानान्तरण हो चुका है । ऐसी स्थिति में प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वतः प्रभावहीन हो जाता है । प्रकरण वापिस अनुविभागीय अधिकारी, अम्बाह के न्यायालय में भेज दिया गया । अनुविभागीय अधिकारी अम्बाह द्वारा उक्त अपील प्रकरण में अत्यन्त जल्दबाजी में निगरानीकर्तागण को बिना सूचना दिये तथा बिना सुनवाई का अवसर दिये अंतिम आदेश पारित करते हुये अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित नामांतरण आदेश निरस्त कर वारिसान के आधार पर गैर निगरानीकर्तागण के हक में नामान्तरण आदेश पारित कर दिया गया । अनुविभागीय अधिकारी, अम्बाह का स्थानान्तरण हो चुका था, किन्तु वह रिलीव नहीं हुये थे। जब प्रकरण अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना से लौटकर प्राप्त हुआ था, तो अनुविभागीय अम्बाह को आदेश पारित नही किया जाना चाहिये था, क्योंकि पक्षकार को उन पर विश्वास नहीं था, इसी डर की वजह से निगरानीकर्तागण द्वारा संहिता की धारा 29 का आवेदन पत्र अपर आयुक्त के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकार निगरानीकर्तागण के अभिभाषक इस तर्क को बल प्राप्त होता है कि अनुविभागीय अधिकारी, अम्बाह द्वारा प्रकरण में आदेश करना अत्यंत जल्दबाजी का परिचय दिया गया है । यहां तक की प्रकरण अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना से वापिस प्राप्त होने पर निगरानीकर्तागण को सूचना देना एवं पक्ष समर्थन करने का अवसर दिया जाना उचित नहीं समझा । एक पक्ष को लाभ पहूँचाने के उद्देश्य से आदेश पारित किया गया है ।

5/ निगरानीकर्तागण के विद्वान अभिभाषक का दूसरा तर्क यह है कि अनुविभागीय अधिकारी, अम्बाह द्वारा विचाराधीन आदेश में वसीयतकर्ता रामस्वरूप व मुंशी द्वारा वसीयतनामों पर लगाये गये अंगूठा चिन्ह के सम्बध में टीका–टिप्पणी की गई है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा वसीयतकर्ताओं के अगूंठे चिन्हित जो वसीयतनामों पर लगे हुये है, उनको अन्य दस्तावेजों से मिलाने पर शंकास्पद होना माना है । इस संबंध में निगरानीकर्तागण का यह तर्क है कि अनुविभागीय अधिकारी, अम्बाह हस्ताक्षर विशेषज्ञ नहीं है । यदि उनको अगूंठा चिन्हों के संबंध

में कोई शक था, तो हस्ताक्षर विशेषज्ञ से उनकी जांच करानी चाहिये थी । स्वयं निष्कर्ष निकाल लेना और अगूंठा चिन्हों को शंकास्पद निरोपित करने की अधिकारिता अनुविभागीय अधिकारी को नहीं है । यह अधिकारिता सिविल न्यायालय को है । सिविल न्यायालय द्वारा ही वसीयतनामों को निष्प्रभावी या अवैध घोषित किया जा सकता है । राजस्व अधिकारियों को रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर नामांतरण करना होता है तथा निगरानीकर्तागण की इन तर्को को भी बल प्राप्त है ।

6/ अभिलेख का अवलोकन किये जाने पर यह तथ्य भी प्रकाश में आया है कि अनुविभागीय अधिकारी, अम्बाह द्वारा आदेश में वसीयतनामों के गवाहों के संबंध में भी टिका–टिप्पणी की गई है । अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश में यह उल्लेख किया गया है कि मृतक मुंशीलाल द्वारा वसीयत रामफूल के हक में दिनांक 11–06–2010 को की गई थी । तथा मृतक रामस्वरूप द्वारा मनीराम के हम में दिनांक 07–05–2014 को वसीयत सम्पादित की गई है । इन दोनों वसीयतनामा पर गवाह के रूप में कामता प्रसाद के हस्ताक्षर है तथा फोटो चस्पा है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दोनों वसीयतनामा पर गवाह कामता प्रसाद के एक जैसे फोटो होने तथा एक जैसे कपड़े पहनने तथा कलर आदि के संबंध में उल्लेख किया गया है । हस्ताक्षर भी एक जैसे ही होना लिखा है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा यह लिखा है कि चार वर्ष में हस्ताक्षरों में, कपड़ों में तथा फोटो में कोई अंतर न होने के कारण वसीयत संदिग्ध प्रतित होता है । यहां, यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि वसीयतनामों पर गवाहों का एक जैसा फोटो होना, एक जैसे कपड़े पहनने तथा एक जैसे हस्ताक्षर होने के आधार पर वसीयतनामें को शंकास्पद होना नहीं माना जा सकता है । गवाह कामता प्रसाद द्वारा विवरण न्यायालय के समक्ष मृतकों द्वारा की गई वसीयत को साक्ष्य में प्रमाणित कराया गया है । अनुविभागयी अधिकारी द्वारा अपने आदेश में जिस भाषाशैली का इस्तेमाल किया गया है वह बिना किसी ठोस आधार एवं साक्ष्य से समार्थित नहीं है । केवल कल्पनाओं और कयासों के आधार पर आदेश पारित किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि मृतक रामस्वरूप व मुंशीलाल द्वारा अपनी जीवनकाल में

वसीयत विलयों का निष्पादन कदापि नहीं किया गया है । जबकि विचारण न्यायालय के समक्ष मृतक मुंशीलाल एवं रामस्वरूप द्वारा निगरानीकर्तागणों के हक में वसीयत सम्पादित किया जाना साक्ष्य से प्रमाणित हो चुका था, और उसी आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा वसीयतनामों के आधार पर निगरानीकर्तागणों के हक में नामांतरण स्वीकार करते हुये गैर निगरानीकर्तागण द्वारा वारिसान के हक में चाहा गया नामांतरण बावत् प्रस्तुत आवेदन पत्र को साक्ष्य के अभाव में निरस्त किया जा चुका था । अनुविभागीय अधिकारी को यह मालूम है कि रजिस्टर्ड दस्तावेजों को निरस्त करने की अधिकारिता नहीं है । फिर भी अधिकारिता आदेश पारित किया गया है । 2010 रे0नि0 153 गुलाब बाई (श्रीमती) तथा अन्य विरूद्ध प्रभाबाई (श्रीमती) तथा अन्य में राजस्व मण्डल द्वारा यह अमिनिर्धारित किया गया है कि धारा 109 तथा 110 –रजिस्ट्रीकृत इच्छापत्रों के आधार पर नामांतरण का दावा इच्छापत्रों के विषय में कोई निष्कर्ष दिये बिना उत्तराधिकार के आधार पर नामांतरण आदेश पारित – ऐसा आदेश जब पारित किया जा सकता है कि जब इच्छापत्र साक्ष्य से साबित न हो । जब विचारण न्यायालय के समक्ष इच्छापत्र साक्ष्य से प्रमाणित हो चुके थे और विचारण न्यायालय द्वारा उसके आधार पर नामांतरण आदेश पारित कर दिया गया था । तब अनुविभागीय अधिकारी द्वारा न तो प्रकरण में वसीयतनामा के संबंध में कोई साक्ष्य ली गई न जांच ही की गई । मात्र कयासों के आधार पर वसीयतनामों को शंकास्पद मानकर विचारण न्यायालय द्वारा नामांतरण आदेश निरस्त किये जाने का कोई औचित्य नहीं है । माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल द्वारा ऐसे अनेक न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये है जिनमें यह अभी पारित किया गया है कि वसीयत दो अनुप्रमाणिक साक्षियों द्वारा साबित होना चाहिये, बल्कि यहां तक माना है कि दो नहीं उक्त ही अनुप्रमाणिक गवाह पर्याप्त है । यदि गैर निगरानीकर्तागण को वसीयतनामों से कोई परिवेदना है तो सिविल न्यायालय में उपचार प्राप्त करने के लिये स्वतंत्र है । अपर आयुक्त द्वारा भी इन सब बिन्दुओं पर कोई विचार न करते हुये, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित कपोल काल्पिक आदेश को ही यथावत रखे जाने में भूल की है । अतः अनुविभागीय अधिकारी, अम्बाह द्वारा पारित आदेश ही विधि सम्मत नहीं है तो उसे यथावत रखे जाने वाला अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना द्वारा पारित आदेश भी अवैध एवं दुषित हो जाता है, जिन्हें इस प्रकरण में स्थिर रखे जाने का कोई न्यायोचित आधार नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–03–2016 तथा अनुविभागीय अधिकारी, अम्बाह द्वारा पारित आदेश दिनांक 01–08–2015 विधि के अनुक्रम में न होने के कारण स्थिर रखे जाने का कोई आधार न होने के कारण निरस्त किये जाते है तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–11–2014 यथावत रखा जाता हे । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर